१. संविधान की प्रगति

राजनीति विज्ञान की अब तक की पाठ्यपुस्तकों में हमने स्थानीय शासन संस्थाओं, भारतीय संविधान में निहित विभिन्न मूल्यों और उनके द्‌वारा अभिव्यक्त सिद्‌धांतों के साथ-साथ संविधान द्‌वारा निर्मित शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्थान आदि की विस्तृत समीक्षा की है । भारतीय संविधान ने भारत को पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्‌देश्य रखा है । नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता अबाधित रहे; इसके लिए संविधान में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं । सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगत एवं विकसित समाज निर्माण के साधन के रूप में भारतीय संविधान की ओर देखा जाता है । भारतीय संविधान के अनुसार २६ जनवरी १९५० से देश का शासन चलाना प्रारंभ हुआ । तब से लेकर वर्तमान समय तक संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही; उसके द्‌वारा भारतीय लोकतंत्र का व्यापक होता गया प्रारूप, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और सामाजिक न्याय तथा समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए; उसकी प्रस्तुत प्रकरण में हम संक्षेप में समीक्षा करेंगे। यह पाठ्यांश (१) लोकतंत्र (२) सामाजिक न्याय और समता (३) न्यायव्यवस्था इन तीन मुद्‌दों तक सीमित है ।

लोकतंत्र

राजनीतिक परिपक्वता : लोकतंत्र में मात्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्त्वपूर्ण नहीं होती है अपितु उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार किए जाने पर ही लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है । उसी के अनुसार हमारे देश में लोगों को सीधे-सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करनेवाली संसद, राज्य विधान सभाएँ और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ हैं । यदि इनमें समाज का सहभाग और राजनीतिक प्रतिद्‌वंद्‌विता पर विचार करें तो भारत में लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल हुआ दिखाई देता है । निर्धारित समय के बाद पारदर्शक और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होनेवाले चुनाव हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है । जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में लें तो हमारे विशाल देश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है । निरंतर होनेवाले चुनावों के कारण भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक समझ अधिक परिपक्व होने में सहायता प्राप्त हुई है । चुनावों के बीच घोषित होने वाली सार्वजनिक नीतियों और समस्याओं के विषय में भारतीय मतदाता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच-विचार करके मतदान करने की मानसिकता में वृद्‌धि हुई है ।

मताधिकार : भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया ही गया था । उसके अनुसार मताधिकार का दायरा मूलतः व्यापक था । मताधिकार के संकुचित करनेवाले जो प्रावधान स्वतंत्रतापूर्व काल में प्रचलित थे, वे सभी पूर्णतः नष्ट किए गए तथा स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष के लिए २१ वर्ष आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्‌वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था । इस अधिकार को और व्यापक करके मतदाता की आयु २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष तक कम की गई । फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी को राजनीतिक क्षितिज प्राप्त हुआ । लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ानेवाले इस परिवर्तन के कारण भारतीय लोकतंत्र को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है । विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है । यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है । कई

राजनीतिक दल इन्हीं युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता की प्रतियोगिता में उतर आए हैं । इस कारण भारत में राजनीतिक प्रतिद्‌वंद्‌विता का स्वरूप भी बदल गया है। लोगों की इच्छाओं-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के उद्‌देश्य से आज कई राजनीतिक दल इस प्रतिद्‌वंद्‌विता में दिखाई देते हैं ।

लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण : सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है । सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने के अवसर प्राप्त होते हैं । लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में संविधान के दिशानिदेशक सिद्‌धांतों में प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके उनके द्‌वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देने का दिशानिदेशक सिद्‌धांत उसमें निहित है । उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए । इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न ७३ और ७४ वें संविधान संशोधन का था । इन संशोधनों से स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली इसके साथ-साथ उनके अधिकारों में अधिक मात्रा में वृद्‌धि भी हो गई ।

क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित परिवर्तन किन कारणों से हुए हैं ?

- सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए ।
- दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सकें; इस उद्‌देश्य से उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए ।
- राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
- संविधान में ११ एवं १२ इन दो नए परिशिष्टों का समावेश किया गया ।

सूचना का अधिकार (RTI 2005) : लोकतंत्र में नागरिकों का सक्षमीकरण कई रूपों में होना चाहिए। नागरिकों को उसमें सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके साथ सरकार का संवाद बढ़ना चाहिए । सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी और संवाद अधिक होगा; उतनी मात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ और प्रबल होती जाती है । सरकार द्‌वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हेतु कौन-से कदम उठाए जाते हैं, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए । सुशासन की दो विशेषताओं - पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया । सूचना के अधिकार के कारण सरकारी कार्यवाही में रखी जानेवाली गोपनीयता कम हो गई तथा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिल गई ।

२००० ई. के बाद नागरिकों के लिए सुधार उपलब्ध कराते समय, वह उनका अधिकार है; यह मानकर सुधार की तरफ ध्यान दिया गया । उसके अनुसार सूचना, शिक्षा और खाद्‌यान्न सुरक्षा का अधिकार भारतीयों को मिला। इन अधिकारों से भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से प्रबल हुआ है ।

क्या, आप जानते हैं ?

अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोण (Rights based approach) : स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों तक भारत में लोकतांत्रिकीकरण हो; इसके लिए कई सुधार किए गए परंतु उसमें नागरिकों को 'लाभार्थी' की दृष्टि से देखा गया। पिछले कुछ दशकों में हो रहे सुधार 'नागरिकों के वे अधिकार हैं,' इस भूमिका से किए जा रहे हैं ।

इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से शासन और नागरिकों के संबंधों में कौन-कौन-से परिवर्तन आ सकते हैं । इसपर आपका क्या मत है ?

चर्चा कीजिए -

क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए ?

आपकी दृष्टि से सभी को आवास का अधिकार मिल गया तो अपने देश के लोकतंत्र पर उसके क्या परिणाम होंगे ?

सामाजिक न्याय और समता

सामाजिक न्याय और समता हमारे संविधान के प्रमुख उद्‌देश्य हैं । इन दो मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण करना हमारा प्रमुख ध्येय है। संविधान में भी इस दिशा में अग्रसर होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ।

सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने से तात्पर्य है जिन सामाजिक कारणों से व्यक्तियों पर अन्याय होता है, उस अन्याय को दूर करना और व्यक्ति के रूप में, सभी का स्तर समान होता है; इसका आग्रह करना । जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति के आधार पर ऊँच-नीच का भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता के प्रमुख उद्‌देश्य हैं ।

सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के लिए समाज में सभी स्तरों पर प्रयत्न करने पड़ते हैं परंतु सरकार की नीतियों और अन्य प्रयत्नों को विशेष महत्व है । लोकतंत्र को अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनाने के लिए सभी सामाजिक घटकों का मुख्य प्रवाह में आना बहुत जरूरी है । लोकतंत्र सभी समाज घटकों को समाहित कर लेने की प्रक्रिया है । ऐसे ही समावेशित लोकतंत्र के कारण समाज में निहित संघर्ष कम होते हैं । इस दिशा में हमारे देश में कौन-कौन से कदम उठाए गए, उसकी हम चर्चा करेंगे ।

• **आरक्षित स्थानों की नीति :** जो जन समूह अथवा सामाजिक वर्ग शिक्षा और रोजगारों के अवसरों से दीर्घकाल से वंचित रहे हैं, ऐसे सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की नीति बनाई गई । उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थानों का प्रावधान है ।

• **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून :** सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के उद्‌देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया । इस कानून द्‌वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के होनेवाले अन्याय पर प्रतिबंध लगाया गया। यदि किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो दंड का प्रावधान किया गया है ।

करके देखें-

उपर्युक्त कानून में निहित प्रावधान पढ़िए। अध्यापकों की मदद से उसे समझ लीजिए । अत्याचार न हो; इसके लिए अन्य किन उपायों की जरूरत है ?

• **अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान :** भारतीय संविधान द्‌वारा अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान किए गए । अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसके लिए सरकार द्‌वारा कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। भारतीय संविधान द्‌वारा जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । अल्पसंख्यकों के विषय में यह प्रावधान व्यापक रूप में है । समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग को मौलिक रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ है ।

• **महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान :** स्वातंत्र्योत्तर समय से महिला सक्षमीकरण हेतु प्रयासों की शुरूआत हुई । महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना और उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ निर्धारित की गईं।

महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसे पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा, दहेज प्रतिबंधक कानून, यौन

अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून तथा घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून जैसे महत्त्वपूर्ण कानून बनाए गए । इन प्रावधानों के फलस्वरूप महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने और स्वयं का विकास साधने हेतु अनुकूल वातावरण बन गया ।

हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही कम रहा है। विश्व के कई देशों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए । भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं । ७३ और ७४ वें संविधान संशोधन द्‌वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३% स्थान आरक्षित किए गए । तत्पश्चात यह अनुपात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ५० प्रतिशत तक बढ़ाया गया है । महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई । राज्य में भी राज्य महिला आयोग है ।

घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनेवाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है । स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता इस कानून द्‌वारा अधोरेखांकित की गई । परंपरागत वर्चस्व और अधिकारतंत्र को विरोध करनेवाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और व्यापक हो गया । उसमें होने वाला समावेशन (inclusion) अधिक अर्थपूर्ण हुआ है ।

करके देखें-

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

अ. क्र.	वर्ष	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
१.	१९५१-५२	२२	४.५०%
२.	१९५७	२२	४.४५%
३.	१९६२	३१	६.२८%
४.	१९६७	२९	५.५८%
५.	१९७१	२८	५.४१%
६.	१९७७	१९	३.५१%
७.	१९८०	२८	५.२९%
८.	१९८४	४३	७.९५%
९.	१९८९	२९	५.४८%
१०.	१९९१	३९	७.३०%
११.	१९९६	४०	७.३७%
१२.	१९९८	४३	७.९२%
१३.	१९९९	४९	९.०२%
१४.	२००४	४५	८.२९%
१५.	२००९	५९	१०.८७%
१६.	२०१४	६६	१२.१५%

साथवाली तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

- किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी ?
- किस वर्ष के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक थी ?
- तालिका में निहित जानकारी के आधार पर लोकसभा चुनाव में जीतकर आई महिला सांसदों का (१९५१-२०१४) वृत्तालेख (Pie Chart)/ स्तंभालेख (Bar Chart) तैयार कीजिए ।

क्या लगता है आपको ?

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की दृश्यता (visibility) कम ही रही है । अगर महिलाओं के लिए परिवार संरचना, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र की निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक अवसर दिए जाएँ तो समग्र राज्य शासन को नई दिशा मिलेगी । इसके लिए प्रातिनिधिक संस्थाओं में महिलाओं का सहभाग बढ़ना चाहिए ।

न्यायालय की भूमिका

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में और सामाजिक न्याय व समता जैसे उद्‌देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में देश को सफल बनाने में भारतीय

न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है । न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित मूल उद्देश्यों और संविधानकारों के उद्दिष्टों को प्रधानता दी है । इस संदर्भ में न्यायालय का जो योगदान रहा है, उसे हम निम्न मुद्दों के आधार पर समझेंगे ।

(१) संविधान का मौलिक ढाँचा : संविधान प्रवहमान होता है । उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज (living document) की तरह होता है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने पड़ते हैं और वह अधिकार अर्थात संसद को प्राप्त है । संसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद के अधिकारों की सीमाओं का बोध संसद को कराया है । और यह भूमिका न्यायालय ने अपनाई है कि संविधान में परिवर्तन करते समय संसद संविधान के मौलिक ढाँचे (Basic structure of the Constitution) को चोट अथवा क्षति नहीं पहुँचा सकती ।

यह भी समझ लें ।

संविधान के मौलिक ढाँचे में सामान्यतः निम्न प्रावधानों का समावेश होता है ।

- शासन का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप
- संविधान का संघराज्यात्मक स्वरूप
- देश की एकता और एकात्मकता का संवर्धन
- देश की संप्रभुता
- पंथनिरपेक्षता और संविधान की सर्वश्रेष्ठता

(२) महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय : संविधान में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को प्राप्त संरक्षण को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय किए हैं । न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अनेक निर्णय किए हैं; उनमें बालकों का अधिकार, मानवाधिकारों का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आदिवासियों का सक्षमीकरण जैसे विषयों का समावेश किया जा सकता है । इन विषयों के संदर्भ में न्यायालय ने जो निर्णय किए हैं; उन निर्णयों के कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया परिपक्व होने में सहायता प्राप्त हुई है ।

समझ लें ! कुछ महत्वपूर्ण हैं –

लोकतंत्र के लिए सुशासन का होना आवश्यक है । इसके लिए निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश आवश्यक है । सुशासन की इन विशेषताओं को लोकतंत्र में लाने के लिए क्या करना चाहिए ?

- उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी को भलीभाँति समझनेवाली सरकार
- प्रभावी और कार्यक्षम सरकार
- प्रतिसादात्मक सरकार
- पारदर्शी प्रशासन
- न्यायपूर्ण और सर्वसमावेशक विकास
- प्रशासकीय व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता

मालूम कर लें

वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय ने ऊपरी विषयों के संदर्भ में कौन-से निर्णय किए हैं; उन्हें ढूँढ़िए और उनपर विचार-विमर्श कीजिए ।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संविधान और उसपर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने यहाँ समीक्षा की है । फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों से सभी समस्याओं का हल हो गया । आज भी हमारे सामने अनेक नई समस्याएँ हैं परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हुआ है ।

अगले प्रकरण में हम भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए ।

(१) महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए.......... स्थान आरक्षित रखे गए हैं ।

(अ) २५% (ब) ३०%
(क) ४०% (ड) ५०%

(२) निम्न में से किस कानून ने महिलाओं को स्वतंत्रता का संरक्षण करने और स्वयं का विकास साधने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण की है?

(अ) सूचना का अधिकार कानून
(ब) दहेज प्रतिबंधक कानून
(क) खाद्यान्न सुरक्षा का कानून
(ड) इनमें से कोई नहीं ।

(३) लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात ....

(अ) वयस्क मताधिकार
(ब) सत्ता का विकेंद्रीकरण
(क) आरक्षित स्थानों की नीति
(ड) न्यायालयीन निर्णय

२. निम्न कथन सत्य या असत्य हैं, सकारण स्पष्ट कीजिए ।

(१) भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है ।

(२) सूचना के अधिकार के कारण शासन व्यवस्था में गोपनीयता बढ़ गई है ।

(३) संविधान का स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज की तरह होता है ।

३. निम्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए –

(१) अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोण

(२) सूचना का अधिकार

(३) लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

४. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए –

(१) मतदाता की आयु सीमा २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष करने के क्या परिणाम हुए ?

(२) सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित करने का अर्थ क्या है ?

(३) न्यायालय द्वारा दिए गए किन निर्णयों से महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हुई है?

उपक्रम

(१) सूचना के अधिकार द्वारा हम कौन-कौन-सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यापकों के सहयोग से जानकारी प्राप्त कीजिए ।

(२) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा कौन-कौन-सी सुविधाएँ दी जाती हैं, उनकी सूची तैयार कीजिए ।

(३) राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकृत संकेत स्थल (वेबसाइट) से निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

(४) अपने क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करनेवाली महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार कीजिए ।

3J8HZJ